भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: **9-HRB049/2018-CHA** दिनांक: 01-03-2019

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ -160001

विषय:- **Diversion of 2.1717 ha (0.6371 ha in Mahendergarh Division and 1.5346 ha in Bhiwani Division) of forest land in favour of Chief Manager, Power Grid Corporation of India, Bhiwani for construction of 400 KV D/C Mahendergarh-Bhiwani transmission line, under forest division and District Mahendergarh and Bhiwani, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Trans/28968/2017)**

संदर्भ 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8229/4141 दिनांक 06.03.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है । प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक **10.09.2018** द्वारा **सैधांनिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-**8229/4268** दिनांक **01.03.2019** द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतू **2.1717** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है ।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी |

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार भिवानी वन मण्डल मे वृक्षों की संख्या 225 और पौधो की संख्या 112 और महेन्द्रगढ वन मण्डल मे काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 121 और पौधो की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार, Ladwas canal, Range Loharu under Bhiwani forest divison में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 22,92,308/- रूपये (Rs. Twenty two lakh ninty two thousand three hundred and eight only) की राशि से 3.070 हैक्टेयर वन क्षेत्र में और Jatwas RF under Mahendergarh forest divison में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 15,49,763/- रूपये (Rs. Fifteen lakh forty nine thousand seven hundred sixty three only) की राशि से 1.275 हैक्टेयर वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा |

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार, Ladwas canal, Range Loharu under Bhiwani forest divison में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 1,67,256/- रूपये (Rs. One lakh sixty seven thousand two hundred and fifty six only) की राशि से 0.224 हैक्टेयर वन क्षेत्र में और Jatwas RF under Mahendergarh forest divison में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 19,890/- रूपये (Rs. ninteen thousand eight hundred and ninty only) की राशि से 0.018 हैक्टेयर वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा |

v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

vi. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें |**

vii. **नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें |**

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

ix. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030**
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

x. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **46** मीटर होगी |

xi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए **3.0** मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |

xii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xiii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **5.5** मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xvi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xvii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xviii. प्रति पूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन राशि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xx. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

3. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।*

भवदीय,

09/03/2019

(सी० डी० सिंह)

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Pr. Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Nodal Officer-cum-CF (FC), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
4. The Nodal Officer (CAMPA), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Bhiwani and Mahendergarh, Haryana.
5. The Chief Manager, Power Grid Corporation of India, Bhiwani.